प्रेस विज्ञप्ति

14.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13/02/2024 को तीन व्यक्तियों, श्रीनगर निवासी मोहम्मद अकबर भट, श्रीनगर निवासी सुश्री फातिमा शाह और अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) निवासी सब्ज़र अहमद शेख को गिरफ्तार किया है, जिसमें आतंकी वित्तपोषण में शामिल ये आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर मंजूर अहमद शाह अल्ताफ अहमद भट आदि के साथ मिले हुए थे, जो जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की व्यवस्था करते थे। उन्हें माननीय विशेष न्यायाधीश एसीबी (सीबीआई-मामले) कश्मीर, श्रीनगर न्यायालय द्वारा 20/02/2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

ईडी ने जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त मोहम्मद अकबर भट, फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट, काजी यासिर, सैयद खालिद गिलानी उर्फ खालिद अंद्राबी एवं अन्य के विरुद्ध जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की आड़ में पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिले हुए थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत खातों और अल-जबर ट्रस्ट के बैंक खातों में धन प्राप्त किया, जोकि एक धर्मार्थ ट्रस्ट था लेकिन इसका उपयोग छात्रों से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा था, जिसे आगे कई तरीकों से भारत में आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कि मंजूर अहमद शाह, अल्ताफ अहमद भट इत्यादि जैसे पाकिस्तानी हैंडलरों के अनुदेशों अनुसार पत्थरबाजों को पैसा देना, जम्मू एवं कश्मीर स्थित व्यक्तियों/आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराना, आदि।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत विभिन्न बैंक खातों, अचल संपत्तियों आदि के रूप में लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।